उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या: 1856-औस-17/राविप/98-11(11)एफ/86   दिनांक: अप्रैल 17, 1998.

मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र),
उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

विषय:- एयर कन्डीशन्ड/डीलक्स आदि श्रेणी के प्राइवेट वार्ड की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं. 1295/मु.अ.मे.क्षे.-मे./औस दि. 22.10.96 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि परिषदीय आदेश सं. 2083-एनजी 11/एसईबी (4)-29एनजी-2/78 दि. 24.5.78 के पैरा-11 में स्पष्ट उल्लेख है कि परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों को केवल प्राइवेट वार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ एयर कन्डीशन्ड डीलक्स आदि वार्ड की सुविधा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस पर आई धनराशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

भवदीय,
16/4/98

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

<u>संख्या: 1856-(1)-औस-17/राविप/98, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त विषयक प्रकरणों में तत्सम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित:

1. समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
3. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।

आज्ञा से,
16/4/98

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी